प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधान मंत्री
आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

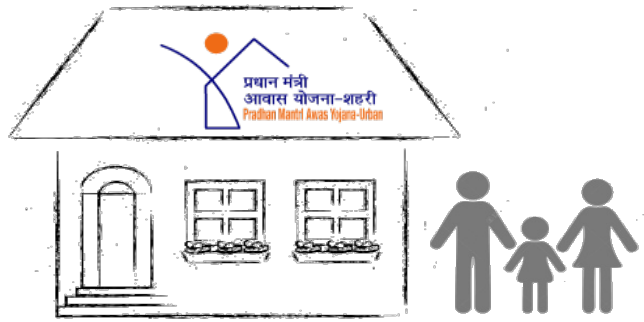

कार्यालय परियोजना निदेशक (आवासन)
राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक

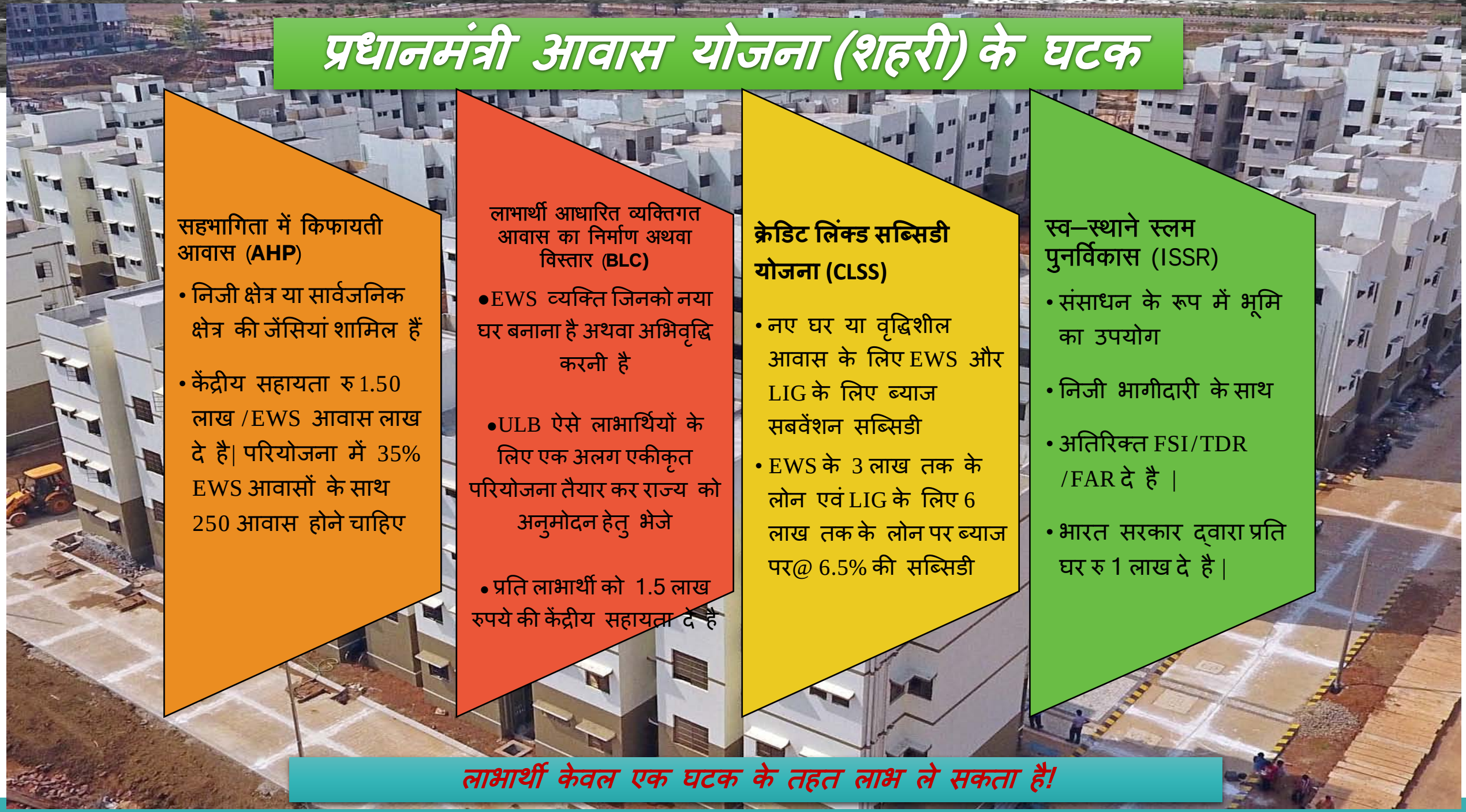

सहभागिता में किफायती आवास (AHP)

- निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की जेंसियां शामिल हैं
- केंद्रीय सहायता रु 1.50 लाख /EWS आवास लाख दे है| परियोजना में 35% EWS आवासों के साथ 250 आवास होने चाहिए

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार (BLC)

- EWS व्यक्ति जिनको नया घर बनाना है अथवा अभिवृद्धि करनी है
- ULB ऐसे लाभार्थियों के लिए एक अलग एकीकृत परियोजना तैयार कर राज्य को अनुमोदन हेतु भेजे
- प्रति लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दे है

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

- नए घर या वृद्धिशील आवास के लिए EWS और LIG के लिए ब्याज सबवेंशन सब्सिडी
- EWS के 3 लाख तक के लोन एवं LIG के लिए 6 लाख तक के लोन पर ब्याज पर@ 6.5% की सब्सिडी

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR)

- संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग
- निजी भागीदारी के साथ
- अतिरिक्त FSI/TDR /FAR दे है |
- भारत सरकार द्वारा प्रति घर रु 1 लाख दे है |

लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ ले सकता है!

EWS/LIG/MIG के आवासों पर PMAY (शहरी) के तहत देय लाभ

- **Affordable Housing Scheme:** आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास/फ्लैट (EWS/LIG) खरीदने पर, आवेदक जिनकी आय 3.00 लाख रूपये वार्षिक तक है, को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत 1.5 लाख रूपये का अनुदान तीन किस्तों में क्रमशः प्रथम–40 प्रतिशत, द्वितीय–40 एवं तृतीय 20 प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा देय होगा। इस हेतु आवेदक को पृथक से आवेदन करना होगा।

- **Credit Link Subsidy Scheme:** (क्रेडिट से जुडी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास) नये आवास के लिऐ EWS, LIG, MIG-I एवं MIG-II हेतु ऋण पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रूपये तक है वे लोग 6.50 से 3.00 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ लेकर 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण ले सकते है। ब्याज सब्सिडी ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी के ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दी जायेगी। इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किश्त में कमी आयेगी। 6 से 12 लाख रूपये तक के ऋण पर अधिकतम 2.67 लाख रूपये की ब्याज सब्सिडी मिलती है।

योजना को समझें

शहरी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं आवासहीन परिवारों को मूलभूत सुविधाओं (बिजली, पानी, रसोई, एवं प्रसाधन) सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने के उदेश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मुख्य घटक **लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (BLC)** के तहत यह योजना प्रदेश के समस्त 189 नगरीय निकायों में क्रियान्वित है |

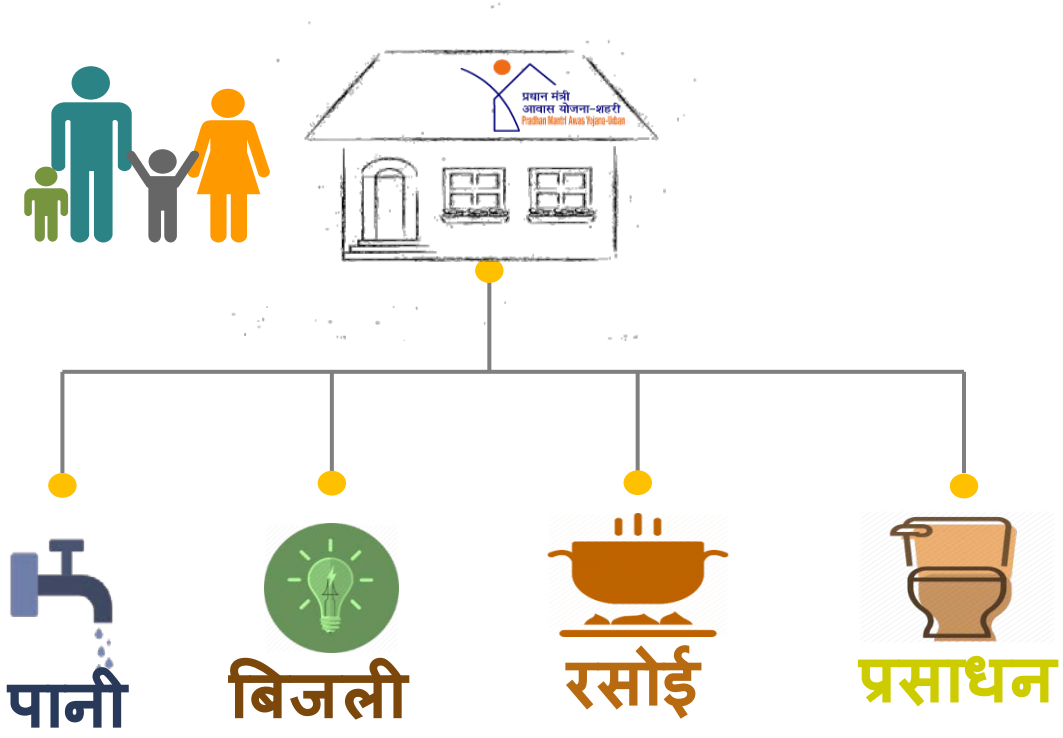

पात्रता:

- आवेदक की सालाना आय राशि रू. 3.00 लाख है।

- आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कही पर भी पक्का आवास ना हो।

- आवेदक के स्वयं के नाम भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज होने चाहिये।

- स्वयं का आधार कार्ड व पती/पत्नि का आधार कार्ड होना अनिवार्य

*लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियां शामिल हैं.एक कमाऊ व्यक्ति (अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग परिवार के रुप में माना जाता है.

आवेदन कैसे करें ?

नगरीय निकाय में निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन करें |

1. आवेदक एवं पति/पत्नी का आधार कार्ड

2. निर्धारित प्रपत्र में स्वयं घोषणा पत्र

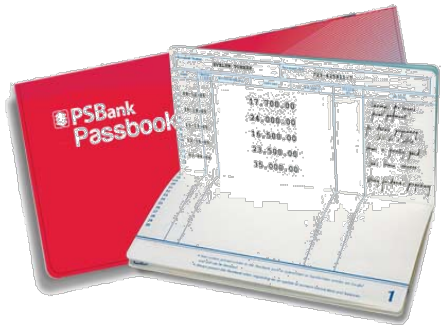

3. बैंक पास बुक

4. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज

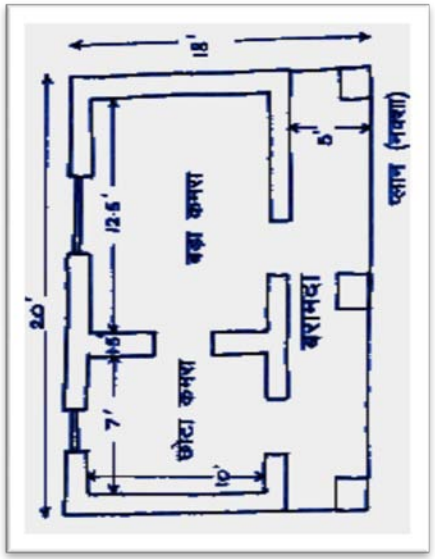

5. आवास का नक्शा

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

CLSS

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना

29379

CLSS लाभार्थी

- केंद्र प्रायोजित योजना :
- घर के खरीदने पर, निर्माण या वृद्धि के लिए पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIG/MIG-I & MIG-II) द्वारा बैंक से लिए गए गृह ऋणों पर ब्याज पर सब्सिडी
- देश में पहली बार मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) को एक हाउसिंग स्कीम में शामिल किया गया है।

Particulars	EWS	LIG	MIG I	MIG II
घरेलू आय (रु.)	Upto 3 Lakh	3-6 Lakh	6-12 lakh	12-18 Lakh
कालीन क्षेत्र वर्गमीटर में	30	60	160	200
ब्याज में छूट (% छूट)	6.5%		4.0%	3.0%
अधिकतम ऋण अवधि	20 Years			
योग्य ऋण राशि (रु.)	6,00,000/-		9,00,000/-	12,00,000/-
डिस्काउंटेड NPV रेट	9%			
20 साल के ऋण के लिए सब्सिडी (रु) के लिए अग्रिम राशि	2,67,280/-		2,35,068/-	2,30,156/-
लगभग। मासिक बचत @ 10% का ऋण ब्याज	2,500/-		2,250/-	2,200/-

आवेदन कैसे करें/ पात्रता मानदंड:

- आवेदक/परिजन/परिवार* का देश के किसी भी हिस्से में उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक ने कभी भी भारत सरकार से किसी भी आवास योजना के अंतर्गत किसी भी सेंट्रल/स्टेट की सहायता का लाभ ना उठाया हो.
- परिवार की महिला सदस्य का संपत्ति में एकल सह-स्वामित्व होना चाहिए.
- 2011 की जनगणना के अनुसार संपत्ति का स्थान सभी स्टेच्यूटरी टाउन्स (वैधानिक कस्बों) और उनके आसन्न नियोजन क्षेत्र में आना चाहिए (सरकार द्वारा समय-समय पर अपडेट किया हुआ).

विशेष	CLSS – EWS/LIG
परिवार* की सालानाआय (पी.ए.)	6 लाख तक
सब्सिडी राशि की गणना के लिए अवधि	20 वर्ष (पहले 15 वर्ष)
आवश्यक दस्तावेज	स्वयं के अलावा, परिवार के वयस्क सदस्य का आधार कार्ड अनिवार्य है, स्व घोषणा आय प्रमाण पत्र
हाउस अपग्रेडेशन	शामिल

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR)

ISSR

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास

0

ISSR में स्वीकृत आवास

- कच्ची बस्ती भूमि का संसाधन के रूप उपयोग करके निजी भागीदारी के साथ स्लम पुनर्विकास:
- केंद्र सरकार की भूमि/राज्य सरकार की भूमि/ULB भूमि पर कच्ची बस्तियाँ
  - स्लम पुनर्वास अनुदान औसतन रु 1 लाख प्रति घर।
  - अन्य कच्ची बस्तियों के पुनर्विकास के लिए इस केंद्रीय अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों/स्थानीय निकाय के लिए लचीलापन
  - राज्य/शहर परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त FSI/FAR या TDR देय है |
  - केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा भूमि की लागत नहीं ली जाएगी
- निजी स्वामित्व वाली भूमि पर मलिन बस्तियाँ
  - राज्य/स्थानीय निकाय अपनी नीति के अनुसार भूमि मालिक को अतिरिक्त FSI/FAR या TDR प्रदान सकते है |
  - कोई केंद्रीय सहायता देय नहीं है |